



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 भाद्र 1948 (श10)
(सं० पटना 1096) पटना, शुक्रवार, 11 सितम्बर 2026

सं० 5पुरा0/नि02-02/2026 (खण्ड)-536
कला एवं संस्कृति विभाग

संकल्प
8 सितम्बर 2026

विषय:- पुरातत्व निदेशालय, कला एवं संस्कृति विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार विरासत विकास समिति, पटना के गठन से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या-31, दिनांक- 22.01.2010 के कंडिका-4.4 में संशोधन।

कला एवं संस्कृति विभाग के संकल्प संख्या-31, दिनांक- 22.01.2010 के कंडिका-4.4 में निदेशक, वित्त एवं लेखा के पद पर भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा अथवा बिहार वित्त सेवा के सेवारत/सेवानिवृत्त पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर मनोनयन/नियुक्ति के प्रावधान है।

2. विभागीय संकल्प संख्या-31, दिनांक-22.01.2010 की कंडिका-4.4 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

4.4 "बिहार विरासत विकास समिति, पटना में निदेशक, वित्त एवं लेखा के पद पर भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा अथवा बिहार वित्त सेवा अथवा बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के सेवारत/सेवानिवृत्त पदाधिकारी को प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर मनोनयन/नियुक्ति किया जायेगा।"

3. कला एवं संस्कृति विभाग के संकल्प संख्या 31, दिनांक- 22.01.2010 के प्रावधान इस हद तक संशोधित समझे जायेगे एवं इस संकल्प में किए गए अन्य प्रावधान यथावत् रहेंगे।

4. यह प्रावधान निर्गत तिथि से प्रभावी होगा।

5. प्रस्ताव पर दिनांक 02.09.2026 को मंत्रिपरिषद की सम्पन्न बैठक में मद संख्या-01 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी सम्बन्धित विभाग/पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
प्रणव कुमार,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1096-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>